भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

आर.बी.ई.सं. 97 /93.

सं.ई(पी एंड ए)I-89/जे.सी.एम./डी.सी.5 नई दिल्ली, दि0 22.6.1993

महाप्रबंधक,
सभी भारतीय रेलें तथा अन्य.
(मानक डाक सूची I तथा II के अनुसार).

विषयः- अस्पताल अवकाश प्रदान करना - नियम554-आर.I, 1985 संस्करण के अधीन प्रावधान-सं. वा.तंत्र/वि.परि.की बैठक की मद सं.103/88.

===========

संदर्भ :- बोर्ड का 14.1.1993 का समसंख्यक पत्र.

===========

21/22.1.93 को आयोजित संयुक्त वार्ता तंत्र/विभागीय परिषद की बैठक में कर्मचारी पक्ष के साथ विचार विमर्श के परिणामस्वरूप तथा बोर्ड के उपरोक्त उद्धृत पत्र के क्रम में आगे यह विनिश्चय किया गया है कि कनिष्ठ प्रशासी ग्रेड/प्रवरण ग्रेड में गैर-मंडलीय इकाइयों यथा कारखाना, भंडार, डिपो, क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रों आदि के प्रमुखों को भी यह अधिकार दिये गये हैं कि औसत वेतन अवकाश पर होने के समय छुट्टी वेतन के बराबर छुट्टी वेतन पर 120दिनों से अधिक की अवधि की अस्पताल अवकाश की स्वीकृति के अलग-अलग मामलों का गुणदोष के आधार पर परीक्षण करते हुए वे नियम 554-आर.I, 1985 संस्करण की व्यवस्थाओं में ढील देते हुए 120 दिनों की अवधि से आगे अस्पताल अवकाश की स्वीकृति प्रदान करें। जहां ऐसी गैर-मंडलीय इकाइयों के प्रमुख कनि.प्रशासी ग्रेड से निचले ओहदे के हैं, वहां उपरोक्त उद्धृत व्यवस्थाओं में ढील देते हुए 120 दिनों की अवधि से अधिक की अस्पताल अवकाश की स्वीकृति वाले सभी मामलों को स्वीकृति हेतु नियंत्रक वरि.प्र.ग्रेड के अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए। बहरहाल, उपरोक्त वर्णित नियमों में ढील देते हुए 120 दिनों से आगे अस्पताल अवकाश देने के सभी मामले चिकित्सा अधीक्षक द्वारा समीक्षा किए जाने तथा वरि.मंडलीय

.....2..

लेखाअधिकारी/संबद्ध लेखाधिकारी द्वारा मंजूर किए जाने के अध्यधीन होंगे। इसके अलावा, बोर्ड के 14.1.1993 के समसंख्यक पत्र में पहले से ही बताया गया है कि ऐसे सभी मामलों को कार्योत्तर मंजूरी के लिए प्रत्येक छमाही पर महाप्रबंधक के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए। महाप्रबंधक को भेजे जाने वाले कागजात नियंत्रक वरि. प्र. ग्रेड अधिकारी के मार्फत भेजे जाने चाहिए। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि अस्पताल अवकाश के बदले जहां कहीं भी भुगतान देय हों, उसका भुगतान नियमित रूप से किया जाए तथा लंबित रखने की अनुमति न दी जाए।

2. इसे राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त है तथा रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।

3. आवश्यक संहिता संशोधन शुद्धिपत्र बाद में जारी किए जाएंगे।

4. कृपया पावती दें।

(हस्ताक्षर) 22/6/93
(ए. सी. बक्शी)
निदेशक, स्था. (वे. एवं भ.),
रेलवे बोर्ड.

सं. ई(पी एंड ए)I-89/जे.सी.एम./डी.सी. 5 नई दिल्ली, दि0 22.6.93.

प्रतिलिपि वि.स. एवं मुलेधि, सभी भारतीय रेलों को अग्रेषित।

(हस्ताक्षर) 22/6/93
(ए. सी. बक्शी)
निदेशक, स्था. (वे. एवं भ.),
रेलवे बोर्ड.

सं. ई॰पी एंड ए॰।-89/जे.सी.एम./डी.सी.5 नई दिल्ली, दि0 22.6.93

प्रतिलिपि, फेडरेशन आदि को अग्रेषित ।

के. सुब्रमणियन
कृते सचिव/रेलवे बोर्ड.

सं. ई॰पी एंड ए॰।-89/जे.सी.एम./डी.सी.5 नई दिल्ली, दि0 22.6.93

प्रतिलिपि भारत के अपर उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक॰रेलें॰ को 40 अतिरिक्त प्रतियों सहित ।

पी. चटर्जी
कृते वित्त आयुक्त/रेलें ।

GOVERNMENT OF INDIA|BHARAT SARKAR
MINISTRY OF RAILWAYS/RAIL MANTRALAYA
(RAILWAY BOARD)
*****

RBE No. 97/93.

No.E(P&A)I-89/JCM/DC-5 New Delhi, Dated: 22.6.1993.

The General Managers,
All Indian Railways, ETC.
(As per standard mailing list
No. I & II).

Sub: Grant of Hospital Leave- Provisions under Rule 554-R.I, 1985 edition - Item No.103/89 of the JCM/DC meeting.

Ref: Board's letter of even number dt. 14.1.1993.

****

Consequent upon discussions with the Staff side in the JCM/DC meeting held on 21/22.1.93 and in continuation of Board's letter quoted above, it has been further decided that the Heads of non-divisional units, such as Workshops, Stores, Depots, Zonal Training Centres, etc., in the Junior Administrative Grade/ Selection Grade are also empowered to sanction Hospital Leave beyond a period of 120 days in relaxation of the provisions of Rule 554.R.I, 1985 edition in individual cases meriting sanction of hospital leave beyond a period of 120 days on leave salary equal to leave salary while on leave on average pay. Where the Heads of such non-divisional units are in lower than JA grade, all cases of grant of Hospital Leave beyond a period of 120 days in relaxation of the provisions quoted above should be put up to the controlling SAG officer for sanction. The grant of Hospital Leave beyond 120 days in relaxation of the rules mentioned above in all cases shall however be subject to such cases being reviewed by the Medical Superintendents and concurred in by Senior Divisional Accounts Officer/Associate Accounts Officer. Further, as already stipulated in Board's letter of even number dated 14.1.93, a list of all such cases should be put up to the General Managers half-yearly for their post facto approval. Papers to General Managers should be routed through the controlling SAG officers. It may also be ensured that payment against Hospital Leave wherever due is made regularly and not allowed to pend.

Cont

2. This has the approval of the President and issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.

3. Necessary code correction will follow.

4. Kindly acknowledge reciept.

(A.C. BAKSHI)
DIRECTOR, ESTT. (P&A)
RAILWAY BOARD.

No.E(P&A)I-89/JCM/DC-5 New Delhi, Dated 22.6.1993

Copy forwarded to the FA & CAOs, All Indian Railways etc.

(A.C. BAKSHI)
DIRECTOR, ESTT. (P&A)
RAILWAY BOARD.

NO.E(P&A)I-89/JCM/DC-5 New Delhi, Dated: 22.6.93

Copy forwarded to the Federations etc.

for Secretary/Railway Board.

No.E(P&A)I-89/JCM/DC-5 New Delhi, Dated: 22.6.1993.

Copy with 40 spares forwarded to the ADAI(Rlys) New Delhi.

for Financial Commissioner/Rlys.

Copy to:- PS to CRB, FC, ME, MM, MS, ML, ADV.(STAFF), ADV.(FINANCE) & SECRETARY.

Sr.PAs to EDPC, EDE, EDEB, EDF(B), EDE(N), EDE(IR), ED(PR) & EDPG.

PAs to DF(E), JDE(P&A), JDE(L), JDE(LL), JDE(D&A), JS(G), JS(E), DS(E), DS(G), DS(A), US(D&A)I & II, DDE(G), DDF(E)I, II, & III.

E(P&A)II, PC III, PC IV, ERB-I, II, III, IV, E(O)I, E(O)II, III, CASH I, III, II, E(GC), BUDGET BRANCHES, E(LR)I, F(E)I, II, III, SPL. A/CS III (with 10 spares), A/CS Inspection Cell (with 3 spares), E(G) (with 5 spares), E(W), [illegible]G)I, II, E(D&A), Code Revision Cell, E(Rep) I, II,